भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2264

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पहल

2264. श्री सौमित्र खानः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी नई योजना/कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(घ) बाल श्रम को रोकने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार, विशेष रूप से उक्त राज्य में, महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास हेतु नवाचारी दृष्टिकोण लागू करने के लिए राज्य सरकारों/एनजीओ के साथ सहयोग कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में बच्चों में कुपोषण की स्थिति https://www.poshantracker.in/statistics लिंक पर उपलब्ध है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार कुल 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 71 प्रतिशत महिलाओं में एनीमिया है, जिनमें से 30 प्रतिशत हल्के एनीमिया, 39 प्रतिशत मध्यम एनीमिया और 2 प्रतिशत गंभीर एनीमिया से पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं में एनीमिया के आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं। सूचना https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR374/FR374_WestBengal.pdf पर उपलब्ध है।

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों का सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयन की व्यापक योजना है, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष की आयु) के लिए है। इस मिशन को पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान लिए, भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस मिशन के तहत 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर तालमेल स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण दिया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं तथा इनमें गुणवत्तायुक्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों

(कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी-6 और विटामिन बी-12) के प्रावधान की सिफारिश की गई है।

महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार श्री अन्न के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से बच्चों में कुपोषण का प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

पोषण ट्रैकर एक आईसीटी उपकरण है जिसे निर्धारित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में बच्चों में ठिगनेपन, दुबलापन और अल्प वजन की व्याप्तता की त्वरित पहचान के लिए पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना और बंद करना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियां, पका हुआ गर्म भोजन(एचसीएम)/टेक होम राशन, विकास माप आदि के लिए लगभग तत्समय आंकड़ों के संग्रह की सुविधा प्रदान की है। यह ऐप प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है जो जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसव के बाद देखरेख, स्तनपान और पूरक आहार पर संदेशों का प्रसार करने में मदद करता है।

इस मिशन के तहत, शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है क्योंकि खाने की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन-आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं। इसके अतिरिक्त, पोषण सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जन जागरूकता पैदा करने के

लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाया जाता है।

बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ऊपर उल्लिखित प्रयासों के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यनीति कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुपोषण और रक्ताल्पता को दूर करने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं। इन कार्यकलापों में से एक 'एनीमिया मुक्त भारत' है। देश भर में बच्चों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए गए हैं -

- **माताओं का पूर्ण स्नेह** कार्यक्रम स्तनपान कवरेज में सुधार करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है जिसमें स्तनपान की शीघ्र शुरुआत करना और पहले छह महीने तक केवल स्तनपान कराना और उसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार पद्धतियों पर परामर्श देना शामिल है।
- चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंत: रोगी चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में **पोषण पुनर्वास केंद्र** स्थापित किए जाते हैं जिनमें बच्चों को समय पर, पर्याप्त और उचित आहार देने के संबंध में माताओं और देखरेख करने वालों के कौशल में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **रक्ताल्पता मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति के अंतर्गत** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों (6-59 महीने) को सप्ताह में दो बार आईएफए सिरप के रूप में रोगनिरोधी आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण प्रदान किया जाता है।
- **स्तनपान प्रबंधन केंद्र :** स्तनपान प्रबंधन इकाइयां (एलएमयू) गहन देखरेख इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्म लेने वाले और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को दूध पिलाने के लिए मां का दूध या दात्री मां के दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई सुविधाएं हैं।

- **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस** के तहत सभी बच्चों (1-19 वर्ष) में मिट्टी के माध्यम से फैलने वाले कृमि के संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दो चरणों (फरवरी और अगस्त) में एल्बेंडाजोल की गोलियां एक निश्चित दिन ही दी जाती हैं।
- **विटामिन ए अनुपूरण** कार्यक्रम पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (9-59 महीने) को वर्ष में दो बार विटामिन ए अनुपूरण देन के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल देखरेख के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाए जाते हैं।

(ख) : पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कार्यान्वित किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाहों को रोकने और उन पर अंकुश लगाने तथा बाल विवाह कराने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिनियमित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद से, देश में बाल विवाह के मामले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 (2005-06) के 47% से घटकर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 23.3% हो गए हैं जो लगभग आधा है। इससे पता चलता है कि देश में बाल विवाह की रोकथाम में इस कानून का एक मजबूत प्रभाव है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यापक 'मिशन शक्ति' योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक क्रियान्वित करता है, जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक प्रमुख क्षेत्र है।

मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इस संबंध में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और हितधारकों के साथ परामर्श करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने राज्यों और जिला शाखाओं के साथ मिलकर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सांविधिक अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु अपने पदाधिकारियों को एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसका एक समर्पित हेल्पलाइन 15100 भी है जो महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के निर्दिष्ट वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय ने पिछले वर्ष 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 'समग्र सरकार' और 'समग्र समाज' दृष्टिकोण, जिसमें नागरिक समाज संगठन भी शामिल हैं, के माध्यम से 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल, उद्यमशीलता और उद्यमिता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस अभियान के अंतर्गत, बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग एवं रोकथाम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु एक पोर्टल 'https://stopchildmarriage.wcd.gov.in' शुरू किया गया है। इस पोर्टल में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी है। इस पोर्टल पर 38,000 से अधिक सीएमपीओ की जानकारी उपलब्ध है, जो आम जनता के लिए सुलभ है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 1098 संक्षिप्त कोड के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू की है, जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24*7*365 टोल-फ्री टेलीफोन आपातकालीन सेवा है।

व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना में, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु उज्ज्वला गृह जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को मिला दिया गया है जिसे शक्ति सदन के नाम से जाना जाता है। यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है। यह योजना एक माँग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण तैयार करना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें। वर्तमान में, देश भर में 407 शक्ति सदन कार्यशील हैं।

व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना (कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास) एक माँग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु सीधे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में, देश भर में 531 सखी निवास कार्यशील हैं।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के के जरिये शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में समाज के सभी वर्गों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी शामिल हैं, को कौशल, पुनर्कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशलों से युक्त करना है।

इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन और आवास एवं भोजन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के साथ-साथ नियुक्ति के बाद बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी माना जाता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और उनसे लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। एनएपीएस के तहत, सेवा क्षेत्र में व्यवसायों (वैकल्पिक व्यापार) की शुरुआत से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जेएसएस योजना के तहत, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत लाभार्थियों में 82% से अधिक महिलाएं हैं। साथ ही, 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। भारत सरकार ने सभी आईटीआई (सरकारी और निजी) में सभी पाठ्यक्रमों में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% सीटों के आरक्षण को मंजूरी दे दी है और इन सीटों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरा जा सकता है।

एमएसडीई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 'नव्या' नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है। नाव्या एक प्रायोगिक पहल है जिसका लक्ष्य 16-18 वर्ष की किशोरियों को, जिन्होंने कम से कम 10वीं उत्तीर्ण की हो, मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक रोजगार भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इसके अलावा, एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में

स्वावलंबिनी नामक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी एमएसडीई के तत्वावधान में कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय "मिशन वात्सल्य" नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को बाल श्रम के पीड़ितों सहित कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों को कवर करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के अंतर्गत, प्रायोजन, फ़ॉस्टर केयर, दत्तक ग्रहण और पश्चात् देखरेख के माध्यम से बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

वर्ष 2021 में यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2 (14) (ii) और (ix) के अनुसार, जो बच्चा वर्तमान में लागू श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए या भीख मांगते पाया जाता है या फुटपाथों पर रहता है और जो असुरक्षित है तथा जिसके मादक पदार्थों के सेवन या तस्करी में शामिल होने की संभावना है, उसे अन्य बच्चों के साथ-साथ "देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" के रूप में शामिल किया गया है।

जेजे अधिनियम, 2015 के तहत इन बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करने के लिए सेवा वितरण संरचनाओं का एक सुरक्षा जाल बनाना अनिवार्य है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए मिशन वात्सल्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। मिशन वात्सल्य के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की स्थिति का विश्लेषण किया जा सके और संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से विविध पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना और रखरखाव किया जा सके।

इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने में योगदान देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों/दोहराने योग्य नवाचारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों को प्रति वर्ष 4 लाख रुपये प्रति जिला प्रदान किए जाते हैं।

*****